तिथि	आदेश
...10-23	मुवाफिक वैरीकेन आ०/P.C साहब अवकाश पर है [illegible] पत्रावली दिनांक 7/12/23 को पेश हो।
7/12/23	मुवाफिक वैरीकेन आ०/P.C साहब अवकाश [illegible] पत्रावली दिनांक 8/2/24 को पेश हो।
8/2/24	मुवाफिक वैरीकेन आ०/P.O साहब अन्य कार्य में व्यस्त पत्रावली दिनांक 28/3/24 को पेश हो।
28/3/24	मुवाफिक वैरीकेन आ०/P.O साहब अन्य कार्य में व्यस्त पत्रावली दिनांक 30/5/24 को पेश हो।
30/5/24	पत्रावली पेश हुई। आज बार एसो. के कार्य स्थगित कर रखा है। P.O. साहब अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 14/6/24 को पेश। बहस प्रा० पक्ष
14/6/24	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार उपस्थित। उभय पक्ष बहस सुनी गयी। उभय पक्ष बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 136 राज० भू-राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से कम्प्यूटराइज्ड

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम की तारीख
	टंकण करवाया जाकर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 14.06.2024 को सरे- इजलास सुनाया गया। (हस्ताक्षर) 14.6.24	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारीः– श्री सुखाराम पिण्डेल (आर ए एस)

राजस्व वाद संख्याः– 3/40/2022 दायर दिनांकः– 28/11/2022

जीसीएमएस नं0:–2022/741 निर्णय दिनांकः– 14/06/2024

वउनवान

1. छुटटन पुत्र बदलू जाति गुर्जर निवासी बडौदाकान तहसील कठूमर जिला अलवर।

––प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कठूमर जिला अलवर।

–––– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम– 1956

उपस्थितिः–1.भीमसिंह राणा– अधिवक्ता प्रार्थी
2.पैरोकार सरकार तहसीलदार कठूमर– अप्रार्थी

–:आदेशः–

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यु एक्ट के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आ0 ख0 न0 229, 230, 231, 608, 609, 611, 614, 615, 616, 617, 619, 268, 269, वाके ग्राम बडौदाकान तहसील कठूमर में स्थित है। जिसमें प्रार्थी का 1/4 हिस्सा है। जो आराजी प्रार्थी की कब्जे काश्त खातेदारी की दर्ज रेकार्ड आराजी है। प्रार्थी का नाम काटूला उर्फ छुटटन न होकर छुटटन है। प्रार्थी के राशनकार्ड, आधार कार्ड व अन्य पहचान पत्र के दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम छुटटन दर्ज है। राजस्व कर्मचारियान ने प्रार्थी का नाम छुटटन के स्थान पर काटूला उर्फ छुटटन गलत रूप से राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम छुटटन के स्थान पर काटूला उर्फ छुटटन दर्ज रहने से प्रार्थीया के हक हकूकों पर विपरीत असर पड रहा है। प्रार्थी ने अप्रार्थी से राजस्व रेकार्ड में उक्त आराजी बाबत काटूला उर्फ छुटटन के स्थान पर छुटटन दुरूस्त कराने को कहा तो उसने साफ

14.6.24

इन्कार कर दिया। अतः प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त आराजी के राजस्व रेकार्ड में काटूला उर्फ छुटटन पुत्र बदलू के स्थान पर छुटटन पुत्र बदलू दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिय नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी पैरोकार सरकार तहसीलदार कठूमर के द्वारा हाजिर अदालत होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि प्रार्थी का नाम हाल राजस्व रेकार्ड में काटूला उर्फ छुटटन पुत्र बदलू दर्ज है। पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी चौसाला में दर्ज खातेदार द्वारा ही पंजाब बैंक शाखा कठूमर को अपने हिस्से की भूमि रहन दर्ज की हुई है। जिस अनुसार ही वर्तमान में भी नाम दर्ज रिकार्ड है। अतः वाद काबिल खारिज है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र की ताइद में जमाबन्दी हाल संवत् 2076 से 2079, आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, जन आधार कार्ड व ग्राम पंचायत बडौदाकान द्वारा जारी प्रमाण पत्र पेश किये है, जो शामिल पत्रावली है।

हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व पैरोकार सरकार तहसीलदार कठूमर की बहस सुनी तथा पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रेकार्ड पत्रादि का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी का नाम काटूला उर्फ छुटटन ना होकर छुटटन है। जिसकी ताइद में अप्रार्थी ने भी अपना जवाब पेश कर कथन किया है, कि प्रार्थी का नाम हाल राजस्व रेकार्ड में काटूला उर्फ छुटटन पुत्र बदलू दर्ज है। पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी चौसाला में दर्ज खातेदार द्वारा ही पंजाब बैंक शाखा कठूमर को अपने हिस्से की भूमि रहन दर्ज की हुई है। जिस अनुसार ही वर्तमान में भी नाम दर्ज रिकार्ड है अतः वाद काबिल खारिज है। ऐसी दुरूस्ती से राज्य हित प्रभावित हो सकता है।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड पत्रादि का अवलोकन किया व विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व विद्वान पैरोकार सरकार तहसीलदार कठूमर की बहस पर मनन करने पर यह पाया गया कि प्रार्थी का नाम हाल राजस्व रेकार्ड में काटूला उर्फ छुटटन पुत्र बदलू दर्ज है। पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी चौसाला में दर्ज खातेदार द्वारा ही पंजाब बैंक शाखा कठूमर को अपने हिस्से की भूमि रहन दर्ज की हुई है। जिस अनुसार ही वर्तमान में भी नाम दर्ज रिकार्ड है जिसके कारण प्रार्थी का वाद काबिल खारिज है।अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साबित ना होने के कारण स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है।

14.6.24

अतः प्रार्थी का प्रार्थना अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 साबित ना होने के कारण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.06.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सुखाराम पिण्डेल(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)